6.00 P.M.

अत: मेरी सरकार से मांग है कि किसानों द्वारा इन एंटीबायोटिक दवाइयों का पौधों, फलों, सब्जियों तथा धान की फसलों पर इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, धन्यवाद।

Demand to increase the capacity of dams in Uttar Pradesh

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद (उत्तर प्रदेश): महोदय, बिन पानी सब सून। इस सत्य से हम सभी भली-भांति वाकिफ हैं। वर्ष 1999 में संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरण कार्यक्रम में 2000 से ज्यादा वैज्ञानिकों ने नई शताब्दी की दो सबसे बड़ी समस्याओं में से एक पानी की कमी को बताया था, जो बुंदेलखण्ड में अब चरितार्थ होने लगा है।

उत्तर प्रदेश में 98 बांध हैं, जिनमें अकेले बुंदेलखण्ड क्षेत्र में 34 बांध हैं, पर बुंदेलखण्ड के तकरीबन 20 से अधिक बांध सूखे पड़े हैं। बरसात के दिनों में भी बांधों की क्षमता से भी आधा पानी नही भर पाता। मध्य प्रदेश के बुंदेलखण्ड क्षेत्र में 50 बांध, छोटी-मंझोली और बड़ी परियोजनाएं हैं, पर उनमें भी कमी क्षमता के अनुरूप पानी नही भर पाता। उनमें मरम्मत एवं सिल्ट सफाई की आवश्यकता है।

यही कारण है कि लगातार कई वर्षों से बुंदेलखण्ड सूखे की चपेट में है, जिससे खेती सबसे अधिक प्रभावित हुई, जिसका परिणाम यह हुआ है कि इस क्षेत्र के लोग अत्यधिक पलायन कर चुके हैं। इस क्षेत्र में वृद्ध और महिलाएं, बच्चे ही गांवों में ज्यादा बचे हैं।

बांदा जिले के रनगवां, बरियारपुर, गंगऊ, महोबा जिले के करबई, मझगवां बांध, उर्मिल, मौदहा, चित्रकूट जिले में रसिन व गुंता बांध में नाम मात्र का पानी बचा है। जीवनदायिनी नदी - केन, बागै, बान, मंदाकिनी व चन्द्रावल की धाराएं सिकुड़ चुकी हैं। ऐसे हालात में बुंदेलखण्ड में बिन पानी सब सून होने लगा है।

अत: सदन के माध्यम से मेरी मांग है कि केन्द्र सरकार बुंदेलखण्ड के किसानों के हितों को देखते हुए पानी के प्राकृतिक स्रोतों सहित बांधों में जल भराव क्षमता सुनिश्चित करने हेतु सभी आवश्यक कदम अविलम्ब उठाए, जिससे बुंदेलखण्ड की जनता को पीने और खेती योग्य पानी मिल सके, धन्यवाद।

Demand to take steps to prevent cancer cases in rural India

श्री शिव प्रताप शुक्ल (उत्तर प्रदेश): महोदय, देश में कैंसर एक महामारी की तरह फैल रहा है। कैंसर के मामले में भारत के ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति अधिक खराब है, जहां बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं की भी कमी है। कैंसर का समुचित उपचार तो आज भी महानगरों तक ही सीमित है।

[श्री शिव प्रताप शुक्ल]

यद्यपि भारत सरकार ने अपनी राष्ट्रीय कैंसर नीति के अन्तर्गत क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों को मान्यता दी है, लेकिन अभी भी दर्जन भर क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों की ही पहचान की जा सकी है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों की न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए जितनी टेली थेरेपी इकाइयों, शल्य चिकित्सा ऑन्कोलॉजी के विभागों और चिकित्सा ऑन्कोलॉजी डिविजनों की आवश्यकता है, वर्तमान में उसका आधा भी उपलब्ध नही है।

मैं सरकार से मांग करता हूं कि कैंसर की रोकथाम के लिए एक ग्रामीण मॉड्यूल तैयार किया जाए, ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक कैंसर केन्द्रों को विकसित किया जाए और जिला एवं अनुमंडल स्तर पर कैंसर केन्द्रों की स्थापना की जाए, जहां कैंसर रोग की प्रारम्भिक पहचान हो सके और जहां कम से कम कैंसर के प्रथम चरण के उपचार के लिए अवसंरचना उपलब्ध हो। साथ ही, इसकी भी आवश्यकता है कि जन-सम्पर्क संचार संसाधनों का अधिक से अधिक उपयोग करके इसकी रोकथाम के संबंध में ग्रामीण जनता को शिक्षित किया जाए।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Hon. Members, the House is adjourned till 11.00 a.m. on Wednesday, the 27th November, 2019.

The House then adjourned at one minute past six of the clock till eleven of the clock on Wednesday, the 27th November, 2019.